दिनांक 27 मार्च, 1987

सं० ओ. वि./रोह/42-87/12609.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मेहन्दीरत्ता इंजिनियरिंग कारपोरेशन, पुरानी इण्डस्ट्रियल एरिया, बहादुरगढ़ (रोहतक), के श्रमिक श्री राम नाथ, पुत्र श्री भैय राम, मार्फत आर.एस. यादव, प्रधान भारतीय मजदूर संघ, रेलवे रोड़, काठ मंडी, बहादुरगढ़ (रोहतक) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री राम नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह०/41-87/12616.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० न्यू टायर सोल कम्पनी, एम.आई.ई., बहादुरगढ़, के श्रमिक श्री राम किशोर यादव, मार्फत श्री आर.एस. यादव, प्रधान, भारतीय मजदूर संघ, रेलवे रोड़, काठ मंडी, बहादुरगढ़ (रोहतक) तथा उसके प्रबन्धको के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा के इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री राम किशोर यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० रोह/38-87/12623.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं० (1) दी रोहतक अशोका थियेटर प्रा० लि०, रोहतक, (2) आर.आर. इंटरप्राइजिज, लिसा, मार्फत भारत ट्रैक्टरज, पुराना किला रोड़, रोहतक, के श्रमिक श्री सुच्चा राम, कच्चा बेरी रोड़, निकट चारा मंडा, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री सुच्चा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?